न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
जीसी0एम0एसः—2019/00048
मुकदमा नम्बरः— 22/2019

दर्ज दिनांक 29.01.2019
निर्णय दिनाक 02.02.2023

1. गिरधारी पुत्र भगवानाराम 49 वर्ष
2. कानाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 45 वर्ष
3. छोटूराम पुत्र भगवानाराम उम्र 42 वर्ष
4. चावली पत्नी भगवानाराम उम्र 70 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम झडाया नगर तन पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

वादीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र भोलाराम उम्र 63 वर्ष
2. शिवचन्द पुत्र भोलाराम उम्र 58 वर्ष
3. पतासी पत्नी भोलाराम उम्र 85 वर्ष
4. बोदूराम पुत्र रामेश्वर उम्र 48 वर्ष
5. हणमान पुत्र रामेश्वर उम्र 46 वर्ष
6. मोटा पत्नी रामेश्वर उम्र 70 वर्ष
7. भजनराम पुत्र भागुराम उम्र 57 वर्ष
8. लालचन्द पुत्र भागुराम उम्र 55 वर्ष
9. गिरधारी पुत्र जोधाराम उम्र 65 वर्ष
10. कालूराम पुत्र जोधाराम उम्र 63 वर्ष
11. जगदीश पुत्र नाथू पौत्र झुथा उम्र 51 वर्ष
12. प्रेम पत्नी झाबर दत्तक पुत्र सरदारा उम्र 47 वर्ष
13. श्रवण उम्र पुत्र श्योला पुत्र धन्ना 45 वर्ष
14. लालचन्द पुत्र श्योला पौत्र धन्ना उम 40 वर्ष
15. पप्पू पुत्र श्योला पौत्र धन्ना उम्र 35 वर्ष
16. कैलाश पुत्र गीगा पौत्र धन्ना उम्र 43 वर्ष
17. कालू पुत्र गीगा पौत्र धन्ना उम्र 40 वर्ष
18. धोलू पुत्र गीगा पौत्र धन्ना उम्र 38 वर्ष
19. शंकर पुत्र गीगा पौत्र धन्ना उम्र 36 वर्ष

समस्त जाति गर्जुर निवासीगण ग्राम झडाया नगर तन पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

20. तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणार्थ व विकल्प से विभाजन

निर्णय दिनांकः 02.02.2023

वादीगण ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम झडाया नगर की सरहद में स्वर्गीय पूरा के कब्जे की भूमियां अवस्थित है, जो निम्न प्रकार हैः– भूमि खसरा न. नया 3393, 3394, 3399, 3400, 3401 रकबा क्रमशः 0.21, 0.23, 0.27, 0.29 व 0.35 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.35 है0 तथा भूमि खसरा न. 3397, 3398, 3420 व 3421 कुल किता 4 भूमि खसरा नम्बरान कुल रकबा 1.27 है0 है। उक्त वर्णित भूमि धारा 2 वादपत्र पूरा के कब्जे की भूमि पर ये अपने जीवनकाल में बतौर खातेदार काबिज काश्तकार रहे हैं, तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के पूर्वज का देहान्त होने पर उपर वर्णित भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार अधिनियम उत्तराधिकार में उन्हें प्राप्त हुआ परन्तु स्वर्गीय लादु उर्फ हणमान तथा स्वर्गीय झुथा परिवार में कर्ता होने के कारण प्रथम बन्दोबस्त कार्यवाही के समय उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम अंकित हो गई जिसको वे काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त हक व हिस्सों के अनुसार वादीगण मौखिक विभाजन के जरिये भूमि खसरा न. 3393, 3397 व 3401 को काश्त करते चले आ रहे हैं, उक्त आधार पर वादपत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में 1/4 भाग के खातेदारी अधिकार वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त होने के आधार पर 1/4 हिस्से की खातेदारी की उदघोषणा करवाने के अधिकारी है तद् हेतु वाद उद्घोषणार्थ सेवामें पेश है। यह कि तथाकथित गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आगे नामान्तकरण की कार्यवाहियों के जरिये उनके उत्तराधिकारीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड बने लेकिन तथाकथित गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भी उन्होंने कभी वादीगण के हक हकुकों को चुनौती नहीं दी तथा उनके कब्जे को अपने आचरण के जरिये स्वीकार किया, इससे स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने 1/4 भाग की भूमि में आवश्यक सुधार किए, भूमि को समतल करवाया तथा बराबर एक वर्षाती बाजरा, मूंग वगैरह अपने खर्चे से बोये तथा फसल तैयार होने पर उसे अपनी रोजी रोटी के रूप में काम में लिया तथा एक फसल उत्पन्न करने का सम्पूर्ण खर्चा वादीगण ने वहन किया है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि भूमि खसरा न. 3393, 3394, 3399, 3400, 3401 रकबा क्रमशः 0.21, 0.23, 0.27, 0.29 तथा 0.35 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.35 है0 व भूमि खसरा न. 3397, 3398, 3420 व 3421 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 है0 ग्राम झडाया नगर तन पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी के 1/4 भाग अथवा भूमि खसरा न. 3393, 3397 व 3401 रकबा क्रमशः 0.21, 0.23 व 0.25 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी संख्या 20 को आदे[illegible] वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जब[illegible]गई।

प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 19 ने इक[illegible]जबाब वाद [illegible]श किया है कि वादपत्र की धारा 1 लगायत 11 जिस तरह से अंकि[illegible] है। अतः इकबालिया जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:02 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र पेश कर निवेदन है कि अगर वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी न0 20 बावजूद तामिल हाजीर नही । अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

कानाराम, गिरधारी पुत्र भगवानाराम, कालुराम, गिरधारी पुत्र जोधाराम, छोटुराम ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वाद पत्र पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादपत्र में वर्णित भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार उत्तराधिकार में उन्हें प्राप्त हुआ परन्तु स्वर्गीय लादु उर्फ हणमान तथा स्वर्गीय झुथा परिवार के कर्ता होने के कारण प्रथम बन्दोबस्त कार्यवाही के समय उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम अंकित हो गई है, जबकि उक्त भूमि में वादीगण का 1/4 भाग उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, जिसको वे काश्त करते चले आ रहे हैं। वादपत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि 1/4 भाग के खातेदारी अधिकार वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त होने के आधार पर 1/4 हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। अतः वादपत्र में वर्णित उक्त भूमियों में 1/4 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी संख्या 20 को आदेशित फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस, पर मनन किया गया। वादपत्र में वर्णित भूमि में वादीगण 1/4 हिस्से कि खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का रहा है। लेकिन उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रथम बंदोबस्त के समय गलत अंकित हो गया । प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 ने भी वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया है। अतः उक्त विवेचना के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होंता है।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम झड़ाया नगर पटवार हल्का पचलगी के भूमि खसरा न0 3393, 3394, 3399, 3400, 3401 कुल रकबा 1.35 है0 व ग्राम झड़ाया नगर पटवार हल्का पचलगी के भूमि खसरा न0 3397,3398,3420,3421 कुल किता 4 कुल रकबा 1.27 है0 के 1/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:02 IST
Reason: SelfAttested

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी